



2026:AHC:124930

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19199 वर्ष 2026

प्रेमबाबू पटेल

..... वादी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिवादी

वादी अधिवक्ता	:	राजेश द्विवेदी
प्रतिवादी अधिवक्ता	:	सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री राजेश द्विवेदी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री बी.पी. सिंह, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता और रिकॉर्ड का अवलोकन किया
2. तत्काल जमानत आवेदन 2026 के मुकदमा अपराध संख्या 103, धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है, पुलिस स्टेशन नैनी, जिला प्रयागराज, सुनवाई के लंबित रहने के दौरान।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, हालांकि उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक मृतक का ससुर है और मृतक की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम से पहले फांसी के कारण दम घुटने के कारण दिखाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक ने आवेदक के घर में आत्महत्या कर ली है और उक्त घटना की जानकारी सह-आरोपी

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शिव दर्शन द्वारा दी गई है जो मृतक के पति हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पति पूछताछ के समय उपस्थित था, हालांकि, उसे उक्त जांच का गवाह नहीं बनाया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर में दहेज की मांग के सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आवेदक 28.2.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत मिल जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सका, हालांकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दहेज की मांग के संबंध में मृतक को क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और शादी के तीन साल के भीतर उसकी मृत्यु हो गई।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक और अन्य सह-आरोपियों ने दहेज की मांग के संबंध में मृतक को परेशान किया और प्रताड़ित किया, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु सामान्य से अन्य परिस्थितियों में हुई। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण पोस्टमार्टम से पहले फांसी के कारण दम घुटने से दिखाया गया है, हालांकि, उस व्यक्ति पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं है। आवेदक मृतक का ससुर है और वह 28.2.2026 से कारागार में बंद है।

6. वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही कारागारों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक वादों के अत्यधिक लंबित होने को ध्यान में रखते हुए तथा **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, 2025 उच्चतम न्यायालय ऑनलाइन 3038 में प्रतिवेदित, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निर्देशों तथा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, 2024 उच्च न्यायालय ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रतिवेदित, जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय के दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन की अनुमति है।
8. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- प्रेम बाबू पटेल को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -
 - (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
 - (ii) आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।
 - (iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।
 - (iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
10. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित अदालत द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। आवेदक के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के सत्यापन के साथ-साथ जमानतदारों को संबंधित अदालत द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।
11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि निचली अदालत आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-कारागार पोर्टल के द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को प्रेषित करे, ताकि जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वप्रेरणा से

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक रिट याचिका संख्या 4 वर्ष 2021 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित आदेश, जो (2024) 10 उच्चतम न्यायालय वाद 685 में प्रतिवेदित है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

जून 3, 2026

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।